

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4 (ई)(1)(6)स्थानान्तरण/अलेसे-II/III/1510

दिनांक :- 8.12.2022

परिपत्र

निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये समय-समय पर स्थानान्तरण आदेशों के सम्बन्ध में यह जानकारी में आ रहा है कि अनेक स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण होने के पश्चात् आदिनांक तक भी अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है। सक्षम स्तर से जारी स्थानान्तरण आदेशों की पालना करने में कार्मिकों द्वारा विलम्ब करते हुए अब तक भी नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना एक अत्यन्त गंभीर विषय है।

समस्त स्थानान्तरणाधीन अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 14.12.2022 तक अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यग्रहण की सूचना ई-मेल/डाक/दस्ती इस निदेशालय को अविलम्ब प्राप्त हो जाये। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कार्मिकों के विरुद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4 (ई)(1)(6)स्थानान्तरण/अलेसे-II/III/1510

दिनांक :- 8.12.2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि वे स्थानान्तरणाधीन लेखाकार्मिक को अविलम्ब उनके नवपदस्थापन कार्यालय के लिए कार्यमुक्त करने का श्रम करें।
3. निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)।
5. समस्त कोषाधिकारी।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को परिपत्र वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त संबंधित लेखाकर्मी।
8. रक्षित पत्रावली।


(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक